



2026:RJ-JP:25423

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR
राजस्थान उच्च न्यायालय

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 1514/2024

Parvesh @ Pirare Son Of Shri Mansingh

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री अम्बरीश वरिष्ठ
For Respondent(s)	:	श्री देवी सिंह, लोक अभियोजक मय
		श्री नवदीप सिंह

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI
Order

27-04-2026

सुना गया।

अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह रहा है कि किशोर न्याय बोर्ड ने दिनांक 09.12.2019 को प्रकरण में किशोर को वयस्क की तरह विचारण हेतु बाल न्यायालय को सुपूद किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सही ढंग से जांच नहीं की गई है मात्र मूल्यांकन के आधार पर मामला बाल न्यायालय को सुपूद किया गया है जो विधि अनुरूप नहीं है।

योग्य लोक अभियोजक व योग्य अधिवक्ता परिवादी प्रकरण में आज अवसर चाहते हैं।

योग्य लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वे सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब, अपीलार्थी का अभिरक्षा अवधि प्रमाण पत्र व आपराधिक विवरण तलब कर आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली एक सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J